

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बन्शीलाल

विपक्षी : शान्तिलाल

किस्म मुकदमा -53,88,188 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 144 / 20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 18.11.2022</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित है। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 उपस्थित। वादी फौत होने से अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र मय प्रार्थना पत्र वाद अबेट किये जाने का पेश किया, मृत्यु प्रमाण पत्र के अवलोकन से वादी श्री बंशीलाल की मृत्यु दिनांक 14.06.2021 को होना जाहिर आया हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा आज तक वारिस कायमी नहीं कराई गई है, जिसे लगभग 90 दिवस से अधिक समय हो जाने से दावा स्वयं ही अबेट हो चुका हैं। आज भी अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अबेट किया जाता हैं। वाद अबेट होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

